–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 157/2018

उनवान

महावीर प्रसाद पुत्र रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
––वादी :–जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
––प्रतिवादी :– 1 जरियें राज. पैरोकार
2. सुरेशचन्द पुत्र रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
–– प्रफोर्मा प्रतिवादी :– अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 6.12.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 407/4616, 438/3736, 438/3737, 438/3738 रकबा क्रमशः 0.10, 0.02, 1.06, 1.33 की आराजी वादी की क्रयशुदा खातेदारी की है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 315, 316, 317 है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा को मुख्य सडक से काफी बाहर जाकर तरमीम कर दिया हैं। जिस कारण वाद को खातेदारी आराजी उपयोग–उपभोग करने में परेशानी हो रही है। प्रतिवादी वादी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा के हाल राजस्व मानचित्र को पपूर्व मानचित्र के अनुसार दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।
वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी में है। हाल खसरा नम्बर 407/4616, 438/3736, 438/3737, 438/3738 रकबा क्रमशः 0.10, 0.02, 1.06, 1.33 के [illegible] क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 319 व 219 बने है। जबकि वादी ने अपने [illegible] वंर्किग खसरा नम्बर 315, 316 व 317 दर्शाया है। वंर्किग जमाबंदी में [illegible] 24.08.1998 के अनुसार

––2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वंर्किग खसरा नम्बर 315, 316, 317 विक्रय होने पर राजेन्द्र प्रसाद, मुकेश चन्द पि. रामरतन के नाम दर्ज है। वादी के नाम उक्त वंर्किग खसरा नम्बर दर्ज नही है। अतः वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्त योग्य है ?
—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 407/4616, 438/3736, 438/3737, 438/3738 रकबा क्रमशः 0.10, 0.02, 1.06, 1.33 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी का कथन है कि हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा को मुख्य सडक से काफी बाहर जाकर तरमीम कर दिया हैं। जिस कारण वाद को खातेदारी आराजी उपयोग–उपभोग करने में परेशानी हो रही है। वादी ने अपने वाद में आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 315, 316 व 317 बताये है किन्तु वाद के साथ सलंग्न मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादी के नाम दर्ज खातेदारी आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 319 व 219 बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 319 व 219 वंर्किग मानचित्र में जिस स्थान पर अंकित है हाल राजस्व मानचित्र में आराजी मुतनाजा उसी स्थान पर अंकित है। हाल खसरा नम्बर 407/4616, 438/3736, 438/3737, 438/3738 रकबा क्रमशः 0.10, 0.02, 1.06, 1.33 के राजस्व मानचित्र में कोई त्रुटि सिद्व नही होती है। वंर्किग खसरा नम्बर 315, 316 व 317 जो वादी ने अपने वाद में अंकित किये है, वह वंर्किग जमाबंदी में वादी के नाम खातेदारी दर्ज नही है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी ने वाद अपूर्ण व अस्पष्ट तथ्यों के साथ पेश किया है। राज. पैरोकार ने अपने जवाब में वाद के तथ्यों का खण्डन किया है। वाद के साथ सलंग्न दस्तावेज से आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 407/4616, 438/3736, 438/3737, 438/3738 रकबा क्रमशः 0.10, 0.02, 1.06, 1.33 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

महावीर प्रसाद बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 157/2018
पेश करने की दिनांक – 06.11.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 407/4616, 438/3736, 438/3737, 438/3738 रकबा क्रमशः 0.10, 0.02, 1.06, 1.33 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 12 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद